

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस

क्रमांक रीडर/2025/ 9897
प्रार्थिनी

1 अमती पत्नि अगराराम
जाति मेघवाल निवासी बाड़मेर
आगोर तहसील व जिला
बाड़मेर।

बनाम

अप्रार्थीगण

दिनांक - 16.12.25

1 अशोक कुमार पूनड 2 नरेश कुमार पूनड पिसरान
बाबुलाल 3 सूआदेवी पत्नि नरेश कुमार 4 शंकरा पुत्र
रामजी 5 रेंवतीदेवी पत्नि रामाराम जातियान मेघवाल
निवासी बाड़मेर आगोर 6 आयुक्त नगर परिषद् बाड़मेर 7
तहसीलदार बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :-570/2025

दिनांक- 09/12/2025

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा बाड़मेर आगोर पटवार क्षेत्र बाड़मेर आगोर तहसील व जिला
बाड़मेर के खसरा संख्या 3295/1993 रकबा 1.1331 हैक्टेयर, व खसरा संख्या 3780/1993
रकबा 0.1619 हैक्टेयर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु
तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व
प्रार्थिनी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल
में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश
दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर
शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थिनी
द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

0

(यशार्थ शेखर)

उपखण्ड अधिकारी,
उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर

दिनांक- 16.12.25

क्रमांक :- रीडर/2025/ 9898 - 9901

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी बाड़मेर आगोर तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड
उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थिनी अमती पत्नि अगराराम जाति मेघवाल निवासी बाड़मेर आगोर तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण अशोक कुमार पूनड जाति मेघवाल निवासी बाड़मेर आगोरतहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी,
उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर

